संख्या-615/2018/968/22-2-2018-17(10)/2012

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 अगस्त, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुशील पुत्र श्री शिवसागर, निवासी जनपद-बाराबंकी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21771/प्रोबे0-5-दया0 (बैठक-15-05-20178) दिनांक 14-06-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सुशील पुत्र श्री शिवसागर, निवासी ग्राम-बिछलगा, थाना-रामनगर, जनपद-बाराबंकी रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीनी विवाद को लेकर दिनांक 26.07.1979 को 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बल्लम व हैण्ड ग्रेनेड से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-191/1980 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी के आदेश दिनांक 29.03.1982 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.10.2007 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.12.2017 तक 09 वर्ष, 10 माह, 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 11 वर्ष, 11 माह, 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, काटी गयी सजा तथा कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी सुशील (बन्दी संख्या-905/2010) पुत्र श्री शिवसागर, निवासी जनपद-बाराबंकी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमर सेन सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-615/2018/968(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।
2- अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in